बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक ..../ पटना, दिनांक...............................

संoसंo– 09/उoनिo/कौoविoप्रशिo–02–02/2021

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

द्वारा :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत CIPET हाजीपुर/CIPET-भागलपुर/NIELIT-पटना/ATDC-पटना/TRTC-पटना एवं अन्य भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेड में बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के गाईडलाइन के अनुसार आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु उपलब्ध आवंटन के आलोक में रु0 11,28,00,000/–(ग्यारह करोड़ अठाईस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत CIPET हाजीपुर/CIPET-भागलपुर/NIELIT-पटना/ATDC-पटना/TRTC-पटना एवं अन्य भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न ट्रेड में बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के गाईडलाइन के अनुसार आवासीय/गैर आवासीय प्रशिक्षण देने हेतु उपलब्ध आवंटन के आलोक में रु0 11,28,00,000/–(ग्यारह करोड़ अठाईस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. मांग के आधार पर प्रशिक्षणार्थियों की संख्या संस्थावार अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर उद्योग निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्रशिक्षण बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) के अनुमोदन प्राप्त केन्द्रों में दिया जाएगा।

3. प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान संस्थान को बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 979 दिनांक 26.08.2022 के अनुसार किया जाएगा।

4. बिहार कौशल विकास मिशन (BSDM) पटना को पोर्टल यूजर चार्ज का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 979 दिनांक 26.08.2022 के अनुसार किया जाएगा।

5. इस राशि का व्यय निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट उपबंध में यथेष्ट उपलब्ध राशि से की जायेगी :–

क्र0सं0	बजट शीर्ष का नाम	स्वीकृत राशि
1.	मांग सं0–23, मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–80– सामान्य, लघु शीर्ष–102 औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष 0135–इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना, विपत्र कोड 23–2852801020135, के विषय शीर्ष–0135. 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित	रू 11,28,00,000.00
	कुल राशि :–	रू 11,28,00,000.00

(रूपये एक करोड़ बत्तीस लाख मात्र)

6. स्वीकृत राशि कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना होंगे, जो नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से एकमुश्त राशि की निकासी BTC फार्म 46 पर कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र इंदिरा भवन पटना के नया पी0 एल0 खाता सं0–PBBPLA018 में उपलब्ध करायेंगे।

7. यह राज्य सरकार की एक चालू योजना है।

8. उद्योग मित्र, पटना में रक्षित राशि को समय–समय पर निदेशक, एम0एस0एम0ई0, निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में प्रशिक्षण संस्थानों एवं Bihar Skill Development Mission (BSDM) पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।

क्रमशः पृष्ट–02 पर..

09. इस योजना के मुख्य नियंत्री एवं पर्यवेक्षण पदाधिकारी, निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय, बिहार, पटना होंगे। वे इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

10. स्वीकृत राशि निर्धारित योजना अधिसीमा के अन्तर्गत है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विपत्र में निश्चित रूप से विपत्र कोड अंकित करेंगे।

11. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर संचिका सं0सं0–09/उ0नि0/कौ0वि0प्रशि0–02–02/2021 के पृष्ठ–50/टि0 पर दिनांक–10.10.2025 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका सं0सं0–09/उ0नि0/कौ0वि0प्रशि0–02–02/2021 के पृष्ठ–57/टि0 पर दिनांक–13.01.2026 को प्राप्त है।

13. उक्त राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0 (2) दिनांक–18.09.2008 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त विभागीय पत्रांक–7355/वि(2) दि0–05.10.2007 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 386/ पटना, दिनांक 02-02-26

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/अपर सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/उप सचिव, (योजना) उद्योग विभाग बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/उप सचिव, प्रशाखा–01 (स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/01/26
अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

D:drive. suject. Dharmendra sir. \Sanction Order/2015-16---------445